


मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 26 दिसंबर 2015

क्रमांक/बी-11-11/2015/14-2: मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 15 दिसंबर 2015 के निर्णयानुसार खरीफ मौसम 2015 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत कपास फसल हेतु निर्धारित 13 प्रतिशत वास्तविक प्रीमियम दर (Actuarial Premium Rates) में से 6.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि किसानों द्वारा तथा शेष 6.5 प्रतिशत देय प्रीमियम की भरपाई अनुदान के रूप में राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा। खरीफ 2015 में कपास फसल हेतु राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत देय दावा राशि का पूर्ण भुगतान एग्रीकल्चर इन्श्यारेन्स कंपनी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



(अ.क.गणेश)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 26 दिसंबर 2015

क्रमांक/बी-11-11/2015/14-2

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, म0प्र0 शासन, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म0प्र0 शासन, भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
4. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, मंत्रालय, भोपाल।
5. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन, वित्त/सहकारिता विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
7. आयुक्त, संस्थागत वित्त, म0प्र0 भोपाल।
8. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, म0प्र0 भोपाल।
10. प्रबंध संचालक, म0प्र0राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक), भोपाल।
11. कलेक्टर, समस्त, जिला म0प्र0।
12. संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, समस्त संभाग।
13. क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि बीमा कंपनी, मैदा मिल के पास, होशंगाबाद रोड भोपाल की ओर लेख है कृषकों के ऋण खातों में यदि 13 प्रतिशत प्रीमियम लिया गया हो तो 6.5 प्रतिशत ऐसे समस्त कृषकों के बैंक खातों में लौटाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
14. उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, समस्त जिला।



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग